जनसम्पर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़ शासन
इन्द्रावती भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़
वेबसाइट : https://jansampark.cg.gov.in/ ईमेल : cgdpreproc@gmail.com
दूरभाष : 0771-2221614

Pre Bid Meeting | दिनांक - 25/11/2025
निविदा सूचना क्र. – 5845| दिनांक - 18/11/2025
PRE BID RESPONSE

निविदा	जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मीडिया कवरेज हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों का इम्पैनलमेंट हेतु निविदा				
क्रमांक	**निविदा सन्दर्भ**	**पृष्ठ क्रमांक**	**स्पष्टीकरण हेतु निविदा की विषय वस्तु**	**स्पष्टीकरण के बिंदु**	**जनसम्पर्क से प्रतिक्रिया**
1	(ख) पात्रता मापदंड	5	**5. चालक एवं परिचालन व्यवस्था:** निविदाकार एजेंसी के पास प्रस्तावित वाहन बेड़े के संचालन हेतु प्रशिक्षित न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष के अनुभव वाले, वैध ड्राइविंग लाइसेंसधारी एवं पुलिस-सत्यापित चालकों की उपलब्धता सुनिश्चित होना आवश्यक है। यदि एजेंसी केवल कार श्रेणी हेतु निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास कम से कम 2 (दो) प्रशिक्षित चालक उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। यदि एजेंसी केवल बस श्रेणी हेतु निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास कम से कम 2 (दो) प्रशिक्षित चालक उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। यदि एजेंसी दोनों श्रेणियों (कार एवं बस) के लिए निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास कम से कम 4 (चार) प्रशिक्षित चालक अर्थात् प्रत्येक श्रेणी हेतु 2-2 चालक उपलब्ध होना आवश्यक होगा। विभाग को प्रस्तुत अभिलेखों की जांच, स्थल सत्यापन अथवा संबंधित प्राधिकरण से पुष्टि कराने का अधिकार रहेगा। गलत अथवा अपूर्ण जानकारी पाए जाने पर निविदा अस्वीकृत की जा सकेगी तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा सकेगी। धन जान की सुरक्षा एवं नियमानुसार EPF / ESIC, श्रम कानून के पालन करने का उत्तरदायित्व एजेंसी का होगा।	वर्त्तमान रूप में पुलिस सत्यापन अनिवार्य है, परन्तु यह प्रक्रिया जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से होती है, जो स्वभावतः जो लम्बी एवं समय साध्य है। इसकी वजह से बड़े टूर, त्वरित कवरेज तथा आकस्मिक कार्यक्रमों में वाहन उपलब्धता प्रभावित होती है। अतः अनुरोध है की इस बिंदु को निविदा से हटाया जाये, या वैकल्पिक रूप से - स्व-घोषणा (Self Declaration) + आधार एवं लाइसेंस की प्रति + पूर्व अनुभव को पर्याप्त माना जाये।	**शुद्धिपत्र के अनुसार**

क्रमांक	निविदा सन्दर्भ	पृष्ठ क्रमांक	स्पष्टीकरण हेतु निविदा की विषय वस्तु	स्पष्टीकरण के बिंदु	जनसम्पर्क से प्रतिक्रिया
2	(ख) पात्रता मापदंड	5	**4.वाहन बेड़ा:** निविदाकार एजेंसी के पास आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की क्षमता होनी चाहिए। • यदि एजेंसी केवल कार श्रेणी (SUV/सेडान) हेतु निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास न्यूनतम 2 (दो) कारें एक साथ उपलब्ध कराने की क्षमता होनी चाहिए। • यदि एजेंसी केवल बस श्रेणी (मिडी/कोच/सेमी-स्लीपर) हेतु निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास न्यूनतम 2 (दो) बसें एक साथ उपलब्ध कराने की क्षमता होनी चाहिए। • यदि एजेंसी दोनों श्रेणियों (कार एवं बस) के लिए निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास कुल 4 (चार) वाहन — अर्थात् 2 (दो) कारें एवं 2 (दो) बसें — एक साथ उपलब्ध कराने की क्षमता होना अनिवार्य होगा। एजेंसी को अपने स्वामित्व अथवा वैध अनुबंध के अंतर्गत संचालित सभी वाहनों की विस्तृत सूची (वाहन संख्या, मॉडल, पंजीयन वर्ष, बीमा एवं फिटनेस प्रमाणपत्र सहित) प्रस्तुत करनी होगी।	वाहन संख्या से सम्बंधित संशोधन का अनुरोध वर्तमान निविदा में एजेंसी के पास न्यूनतम 2 वाहनों की क्षमता अनिवार्य की गयी है, जबकि व्यवहारिक परिस्तिथियों में जनसम्पर्क विभाग के मीडिया कवरेज कार्यक्रमों में 10-15 वाहनों की आवश्यकता सामान्य रूप से होती है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ संवाद के हाल ही में जारी वाहन सम्बन्धी टेंडर में भी न्यूनतम 10 (दस) वाहनों की अनिवार्यता निर्धारित की गयी है। अतः निवेदन है की एजेंसी के नाम से पंजीकृत न्यूनतम 10 (दस) वाहन, वर्ष 2022 अथवा उससे नवीन मॉडल के, रखने की शर्त अनिवार्य की जाए। यह संशोधन विभागीय आवश्यकताओं, उपलब्धता की निरंतरता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त है।	**निविदा के अनुसार**
3	(ख) पात्रता मापदंड	5	**3. न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर:** निविदाकार एजेंसी का औसत वार्षिक टर्नओवर पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों - 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 या 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में न्यूनतम ₹25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये मात्र) होना आवश्यक है। इसका प्रमाण चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट (UDIN सहित) / ऑडिटेड वित्तीय विवरण तथा आयकर रिटर्न (ITR) की प्रतियाँ प्रस्तुत कर दिया जाएगा।	औसत वार्षिक टर्नओवर की शर्त में संशोधन का अनुरोध, वर्त्तमान निविदा में न्यूनतम औसत टर्नओवर ₹25 लाख निर्धारित है। मीडिया कवरेज, बड़े टूर संचालन तथा उच्च गुणवत्ता वाले वाहन प्रबंधन हेतु वास्तविक रूप से अधिक वित्तीय क्षमता आवश्यकता होती है। अतः अनुरोध है की - न्यूनतम टर्नओवर ₹50 लाख (पचास लाख) निर्धारित किया जाये। इससे केवल वित्तीय रूप में सक्षम एवं स्थिर एजेंसियों का चयन सुनिश्चित हो सकेगा।	**निविदा के अनुसार**

क्रमांक	निविदा सन्दर्भ	पृष्ठ क्रमांक	स्पष्टीकरण हेतु निविदा की विषय वस्तु	स्पष्टीकरण के बिंदु	जनसम्पर्क से प्रतिक्रिया
4	(ग) दर उद्धरण प्रारूप	7	**(A) कार / SUV श्रेणी (ए.सी. वाहन):**	वित्तीय बोली (Financial Bid) में Bolero को SUV श्रेणी में शामिल किए जाने संबंधी संशोधन वर्तमान दर-सूची में Bolero को SUV श्रेणी के साथ रखा गया है, जबकि दोनों के किराया-दर में बाज़ार आधारित स्पष्ट अंतर होता है। SUV (Innova, Carens आदि) का किराया अधिक होता है, और Bolero का कम। दोनों को एक ही कॉलम में एक साथ कोट करने से-या तो Bolero का किराया अनावश्यक रूप से बढ़ेगा, या फिर SUV का किराया बाजार दर से कम दिखाया जाएगा, जिससे 11 निर्धारण व्यावहारिक रूप से प्रभावित हो सकता है। अतः अनुरोध है कि- Bolero को SUV श्रेणी से पृथक कर अलग श्रेणी में दर्शाया जाए तथा उसकी दरें उसी श्रेणी के अनुसार आमंत्रित की जाएँ।	**बोलेरो वाहन को मारुति अर्टिगा एवं एक्सएल6 के साथ पृथक लाइन आइटम में दर्शाया गया है, न कि इनोवा क्रिस्टा एवं किया कैरेन्स के साथ, जो अलग लाइन आइटम में अंकित हैं। अतः यह व्यवस्था निविदा के अनुसार ही है।**
5	(ग) दर उद्धरण प्रारूप	7	**(A) कार / SUV श्रेणी (ए.सी. वाहन):**	टोल टैक्स एवं पार्किंग शुल्क के भुगतान संबंधी संशोधन का अनुरोध निविदा में टोल टैक्स व पार्किंग शुल्क को शामिल न किए जाने का उल्लेख है, जबकि यह कर । शुल्क स्थान, मार्ग, कार्यक्रम एवं समय के अनुसार बदलता रहता है, यह फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, टोल टैक्स सरकार को भुगतान किया जाने वाला अनिवार्य शुल्क है, कई केंद्रीय शासकीय विभागों में मान्य बिल प्रस्तुत करने पर इन खर्चों का पुनर्भरण (Reimbursement) किया जाता है। अतः अनुरोध है कि- टोल टैक्स एवं पार्किंग शुल्क को वैध बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति (Reimbursement) योग्य माना जाए, ताकि वाहन संचालन में वास्तविक एवं अप्रत्याशित व्यय का न्यायसंगत समायोजन हो सके।	**निविदा के अनुसार**

क्रमांक	निविदा सन्दर्भ	पृष्ठ क्रमांक	स्पष्टीकरण हेतु निविदा की विषय वस्तु	स्पष्टीकरण के बिंदु	जनसम्पर्क से प्रतिक्रिया
6	(ख) पात्रता मापदंड	7	4. वाहन बेड़ा: निविदाकार एजेंसी के पास आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की क्षमता होनी चाहिए। • यदि एजेंसी केवल कार श्रेणी (SUV/सेडान) हेतु निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास न्यूनतम 2 (दो) कारें एक साथ उपलब्ध कराने की क्षमता होनी चाहिए। • यदि एजेंसी केवल बस श्रेणी (मिडी/कोच/सेमी-स्लीपर) हेतु निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास न्यूनतम 2 (दो) बसें एक साथ उपलब्ध कराने की क्षमता होनी चाहिए। • यदि एजेंसी दोनों श्रेणियों (कार एवं बस) के लिए निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास कुल 4 (चार) वाहन — अर्थात् 2 (दो) कारें एवं 2 (दो) बसें — एक साथ उपलब्ध कराने की क्षमता होना अनिवार्य होगा। एजेंसी को अपने स्वामित्व अथवा वैध अनुबंध के अंतर्गत संचालित सभी वाहनों की विस्तृत सूची (वाहन संख्या, मॉडल, पंजीयन वर्ष, बीमा एवं फिटनेस प्रमाणपत्र सहित) प्रस्तुत करनी होगी।	खण्ड कमांक 'ख' के बिन्दु कमांक 4 में बस श्रेणी के लिए दो बस उपलब्ध कराने की क्षमता के स्थान पर कम-से-कम 3 बस फर्म अथवा फर्म / एंजेसी/संचालक के नाम से स्वामित्व/पंजीयन का होना अनिवार्य किया जाना चाहिए। उक्त शर्त में वैध अनुबंध को समाप्त किया जाना उबित होगा। इस निविदा में ऐसे ट्रेवर्स जो बस मालिक नहीं है वह भी किसी एंजेसी से अनुबंध कर निविदा में भाग लेने के लिए पात्र हो जाएंगे। स्वयं के स्वामित्व का वाहन न होने की स्थिति में इम्पैनल्ड एंजेसी आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य ट्रेवल्स से अनुबंध अनुसार वाहन विभाग को उपलब्ध कराएंगे। यह स्थिति रेट में वृद्धि और कमीशन को प्रोत्साहित करने वाली है। अतएव वाहन उपलब्ध कराने के लिए निविदा में संशोधन कर फर्म/एंजेसी/संचालक के नाम न्यूनतम 3 बस का स्वामित्व/पंजीयन का होना अनिवार्य किया जाए।	**शुद्धिपत्र के अनुसार**
7	(ख) पात्रता मापदंड	7	4. वाहन बेड़ा: निविदाकार एजेंसी के पास आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की क्षमता होनी चाहिए। • यदि एजेंसी केवल कार श्रेणी (SUV/सेडान) हेतु निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास न्यूनतम 2 (दो) कारें एक साथ उपलब्ध कराने की क्षमता होनी चाहिए। • यदि एजेंसी केवल बस श्रेणी (मिडी/कोच/सेमी-स्लीपर) हेतु निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास न्यूनतम 2 (दो) बसें एक साथ उपलब्ध कराने की क्षमता होनी चाहिए। • यदि एजेंसी दोनों श्रेणियों (कार एवं बस) के लिए निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास कुल 4 (चार) वाहन — अर्थात् 2 (दो) कारें एवं 2 (दो) बसें — एक साथ उपलब्ध कराने की क्षमता होना अनिवार्य होगा। एजेंसी को अपने स्वामित्व अथवा वैध अनुबंध के अंतर्गत संचालित सभी वाहनों की विस्तृत सूची (वाहन संख्या, मॉडल, पंजीयन वर्ष, बीमा एवं फिटनेस प्रमाणपत्र सहित) प्रस्तुत करनी होगी।	उक्त निविदा के खण्ड कमांक 'ख' के बिन्दु कमांक 4 में बस श्रेणी के लिए दो बस उपलब्ध कराने की क्षमता के स्थान पर कम-से-कम 5 बस फर्म अथवा एंजेसी/संचालक के नाम से मालिक होना अनिवार्य किया जाना चाहिए। उक्त शर्त में वैध अनुबंध को हटा दिया जाए, ताकि ऐसे लोग इसके लिए पात्र न हो, जिनके पास स्वयं के मालिकाना हक की बस / वाहन न हो। यदि वैध अनुबंध को समाप्त नहीं किया जाता है तो, इस निविदा में ऐसी एजेंसी जिसके पास बस नहीं है वह भी किसी बस मालिक से अनुबंध कर निविदा में भाग लेने के लिए पात्र हो जाएंगे। स्वयं के मालिकाना हक का वाहन न होने की स्थिति में इम्पैनल्ड एंजेसी, आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य ट्रेवल्स से अनुबंध अनुसार वाहन विभाग को उपलब्ध कराएंगे। यह स्थिति शासन के हित में नहीं होगी। वाहन उपलब्ध कराने के लिए निविदा में संशोधन कर फर्म/एंजेसी/संचालक के नाम न्यूनतम 5 बस का स्वामित्व होना अनिवार्य किया जाए।	**शुद्धिपत्र के अनुसार**